

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-204

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत संयंत्र

\*204. श्री लाल सिंह वडोदिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा स्थापित और संचालित विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी-कितनी है और इनमें से कोयला आधारित और गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की संख्या पृथक रूप से कितनी-कितनी है; और
- (ख) आज की तारीख के अनुसार ऐसे प्रचालनगत तथा गैर-प्रचालनगत संयंत्रों की संख्या पृथक रूप से कितनी-कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"देश में विद्युत संयंत्र" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 204 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : 31 अक्टूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र की यूटिलिटियों द्वारा स्थापित और प्रचालित परंपरागत स्रोतों (25 मेगावाट एवं इससे अधिक क्षमता के ताप विद्युत, जल विद्युत एवं नाभिकीय संयंत्र) वाले 447 विद्युत संयंत्र हैं। 447 विद्युत संयंत्रों में से, 317 विद्युत संयंत्र सरकार द्वारा केंद्रीय तथा राज्य क्षेत्र में प्रचालित किए जाते हैं।

सरकार द्वारा प्रचालित 317 विद्युत संयंत्रों (केंद्रीय तथा राज्य क्षेत्र) में से 111250.50 मेगावाट के 93 विद्युत संयंत्र कोयला आधारित हैं तथा 13936.95 मेगावाट के 33 संयंत्र गैस आधारित हैं।

31 अक्टूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, सरकार द्वारा प्रचालित संयंत्रों में से, 89 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र तथा 32 गैस आधारित विद्युत संयंत्र प्रचालनरत हैं। केवल 4 कोयला आधारित संयंत्र तथा 1 गैस आधारित विद्युत संयंत्र प्रचालन में नहीं हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2149

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

नांदला गांव में सब-स्टेशन की क्षमता में वृद्धि

2149. श्री पि. भट्टाचार्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की चिरगांव तहसील के नांदला गांव में स्थित सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि को वर्ष 2014-15 की पूंजीगत व्यय योजना में शामिल किया गया था;
- (ख) यदि हां, तो इस सब-स्टेशन को कब तक स्थापित किया जाएगा;
- (ग) क्या सरकार राज्य सरकार से इस परियोजना के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने को कहेगी क्योंकि यह विलम्ब से चल रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गांव नन्दला, तहसील चिरगांव, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में सब-स्टेशन के संवर्द्धन को कैपेक्स योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान अनुमोदन प्रदान किया गया है और दिसंबर, 2016 में इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) : उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2150  
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

कोयला आयात के संबंध में जांच

2150. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कोयले के आयात मूल्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से संबंधित बीजक घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं;
- (ख) यदि हां, तो उक्त जांच का ब्यौरा/वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) किन-किन क्रेता और आपूर्तिकर्ता कम्पनियों की जांच की जा रही है और अब तक किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कोयला आयात से संबंधित मूल्य से अधिक के बीजक तैयार करने के दृष्टांत उनके ध्यान में आए हैं और फील्ड फार्मेशनों को उपयुक्ततः सचेत कर दिया गया है। विगत में किए गए आयात की जाँच की जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2151

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत को साझा करने संबंधी स्थिति

2151. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा 10 मई, 1984 को हस्ताक्षर किए गए करार में इस बात का उल्लेख किया गया था कि सरकार आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां जल-विद्युत परियोजना, थीन बांध परियोजना, यू.बी.डी.सी. चरण-II और शाहपुर कांडी जल विद्युत योजना में विद्युत साझा करने संबंधी मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के पास उनकी राय जानने के लिए भेजेगी; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो कब तक इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 10 मई, 1984 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों एवं भारत सरकार के बीच करार हुआ था जिसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि हरियाणा और राजस्थान द्वारा आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरिया जल विद्युत परियोजना, थीन बांध परियोजना, ऊपरी बारी दोआब नहर (यूबीडीसी) चरण-II एवं शाहपुर कांडी जल विद्युत स्कीम में विद्युत के हिस्से के लिए किए गए दावों के परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के पास उनकी राय लेने के लिए भेजेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय की राय इस बात के लिए ली जानी थी कि क्या राजस्थान और हरियाणा राज्य इन जल विद्युत स्कीमों से उत्पादित विद्युत में से हिस्से के लिए पात्र हैं, और यदि वे हैं तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना होगा।

तथापि, 29-30 जुलाई, 1992 तथा 06 अगस्त, 1992 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के बीच हुई चर्चा के पश्चात्, इस पर सर्वसम्मति हुई कि इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय को न भेजा जाए। यह निर्णय भी लिया गया कि ये राज्य परस्पर परामर्श करते हुए एक उचित करार करें। इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए, कई औपचारिक चर्चाएं की गईं। तथापि, स्टेकहोल्डर राज्यों के विचारों में भिन्नता होने के कारण, अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं हुई है। इस समय, यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 2009 के मूल वाद संख्या 3 के अंतर्गत न्यायाधीन है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2152

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत

2152. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताप विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है और इन संयंत्रों में कोयले की वार्षिक खपत का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संयंत्रों द्वारा संयंत्र-वार कुल कितनी-कितनी मात्रा में विभिन्न गैसों का उत्सर्जन किया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण के कारण एक लाख से भी अधिक व्यक्ति समय से पहले ही मर रहे हैं और 20 मिलियन लोग दमे से पीड़ित हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 31.03.2016 तथा 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा मॉनीटर किए गए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या क्रमशः 130 और 140 है। वर्ष 2015-16 और चालू वर्ष 2016-17 (अक्तूबर, 2016 तक) के लिए इन संयंत्रों द्वारा सूचित किए अनुसार वार्षिक कोयला खपत **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) : ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई सूचना के अनुसार, परिवेशी वायु में SO<sub>2</sub> तथा NO<sub>x</sub> स्तर **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय/सीईए में इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2152 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| क्रम सं. | टीपीएस का नाम           | 2015-16 | 2016-17 (अप्रैल से अक्टूबर) |
|----------|-------------------------|---------|-----------------------------|
| 1        | राजघाट टीपीएस           | 42      | 0                           |
| 2        | बदरपुर टीपीएस           | 1715    | 1205                        |
| 3        | पानीपत टीपीएस           | 1167    | 950                         |
| 4        | राजीव गांधी टीपीएस      | 3103    | 1961                        |
| 5        | यमुना नगर टीपीएस        | 2612    | 1310                        |
| 6        | इंदिरा गांधी एसटीपीपी   | 4177    | 2812                        |
| 7        | महात्मा गांधी टीपीएस    | 3206    | 812                         |
| 8        | जीएच टीपीएस (लेह. मोह.) | 1876    | 1324                        |
| 9        | रोपार टीपीएस            | 2864    | 1669                        |
| 10       | जीएनडी टीपीएस(भटिंडा)   | 618     | 443                         |
| 11       | राजपुरा टीपीपी          | 4115    | 3023                        |
| 12       | तलवंडी साबो टीपीपी      | 2162    | 2752                        |
| 13       | कोटा टीपीएस             | 5198    | 2363                        |
| 14       | सूरतगढ़ टीपीएस          | 3761    | 1843                        |
| 15       | छबड़ा टीपीपी            | 2831    | 2288                        |
| 16       | कालिसिंध टीपीएस         | 2748    | 1555                        |
| 17       | कवाई टीपीएस             | 4108    | 2652                        |
| 18       | अनपरा टीपीएस            | 9200    | 5692                        |
| 19       | हरदुआगंज टीपीएस         | 2595    | 1715                        |
| 20       | ओबरा टीपीएस             | 3453    | 1775                        |
| 21       | पंकी टीपीएस             | 500     | 538                         |
| 22       | परिछा टीपीएस            | 5338    | 3280                        |
| 23       | दादरी (एनसीटीपीपी)      | 6498    | 3924                        |
| 24       | रिहंद एसटीपीएस          | 13860   | 8423                        |
| 25       | सिंगरौली एसटीपीएस       | 11832   | 5915                        |
| 26       | टांडा टीपीएस            | 2316    | 1442                        |
| 27       | ऊचाहार टीपीएस           | 4739    | 2685                        |
| 28       | रोजा टीपीपी फेज-1       | 4655    | 3250                        |
| 29       | अनपरा सीटीपीएस          | 5549    | 3428                        |
| 30       | मकसूदपुर टीपीएस         | 281     | 275                         |
| 31       | खांबरखेड़ा टीपीएस       | 289     | 249                         |
| 32       | बाइखेरा टीपीएस          | 305     | 245                         |
| 33       | कुंदरकी टीपीएस          | 318     | 286                         |
| 34       | उतरौला टीपीएस           | 356     | 267                         |
| 35       | प्रयागराज टीपीपी        | -       | 382                         |

| क्रम सं. | टीपीएस का नाम                  | 2015-16 | 2016-17 (अप्रैल से अक्टूबर) |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| 36       | ललितपुर टीपीएस                 | -       | 1051                        |
| 37       | डीएसपीएम टीपीएस                | 2845    | 1710                        |
| 38       | कोरबा-II                       | 2324    | 1357                        |
| 39       | कोरबा -पश्चिम टीपीएस           | 6975    | 4046                        |
| 40       | कोरबा एसटीपीएस                 | 14454   | 7864                        |
| 41       | सिपत एसटीपीएस                  | 14026   | 8309                        |
| 42       | पथाड़ी टीपीपी                  | 2048    | 1808                        |
| 43       | भिलाई टीपीएस                   | 2440    | 1566                        |
| 44       | मारवा टीपीएस                   | -       | 891                         |
| 45       | अकलतारा टीपीएस                 | 3916    | 2376                        |
| 46       | बारादरा टीपीएस                 | -       | 1365                        |
| 47       | तमनार टीपीपी                   | 3133    | 2958                        |
| 48       | ओपी ज़िंदल टीपीएस              | 3972    | 2101                        |
| 49       | साबरमती (सी स्टेशन)            | 1388    | 973                         |
| 50       | सिक्का आरईपी. टीपीएस           | 734     | 508                         |
| 51       | गांधी नगर टीपीएस               | 1749    | 831                         |
| 52       | उकाई टीपीएस                    | 3732    | 2254                        |
| 53       | वानकबोरी टीपीएस                | 3889    | 1551                        |
| 54       | मुंद्रा यूएमटीपीपी             | 9901    | 5953                        |
| 55       | सलाया टीपीपी                   | 2100    | 1412                        |
| 56       | मुंद्रा टीपीएस                 | 17189   | 9520                        |
| 57       | अमरकंटक एक्स्प्रेस टीपीएस      | 1059    | 471                         |
| 58       | संजय गांधी टीपीएस              | 5032    | 2618                        |
| 59       | सतपुड़ा टीपीएस                 | 4527    | 1300                        |
| 60       | श्री सिंघाजी टीपीपी            | 3018    | 369                         |
| 61       | विध्यांचल एसटीपीएस             | 21548   | 12440                       |
| 62       | बीना टीपीएस                    | 880     | 56                          |
| 63       | अनूपपुर टीपीपी                 | 1576    | 1125                        |
| 64       | सासन यूएमटीपीपी                | 16654   | 9557                        |
| 65       | निगरी टीपीपी                   | -       | 1242                        |
| 66       | भुसावल टीपीएस                  | 6101    | 2119                        |
| 67       | चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस | 10409   | 6437                        |
| 68       | खापरखेड़ा टीपीएस               | 6918    | 3146                        |
| 69       | कोराड़ी टीपीएस                 | 2091    | 1807                        |
| 70       | नासिक टीपीएस                   | 3390    | 1622                        |
| 71       | परली टीपीएस                    | 1097    | 50                          |
| 72       | पारस टीपीएस                    | 2786    | 1484                        |
| 73       | तिरोरा टीपीएस                  | 11906   | 5976                        |
| 74       | दहानू टीपीएस                   | 2167    | 1212                        |
| 75       | बुतिबोरी टीपीपी                | 2422    | 1463                        |
| 76       | अमरावती टीपीएस                 | 3718    | 911                         |
| 77       | एमको वरोड़ा टीपीएस             | 2508    | 1229                        |
| 78       | मौदा टीपीएस                    | 1326    | 1232                        |

| क्रम सं. | टीपीएस का नाम                | 2015-16 | 2016-17 (अप्रैल से अक्टूबर) |
|----------|------------------------------|---------|-----------------------------|
| 79       | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 3353    | 1893                        |
| 80       | वर्धा वरोरा टीपीपी           | 1230    | 555                         |
| 81       | धारीवाल टीपीपी               | -       | 178                         |
| 82       | ट्रॉम्बे टीपीएस              | 2705    | 1592                        |
| 83       | डॉ.एन. टाटा राव टीपीएस       | 9225    | 5121                        |
| 84       | रायलसीमा टीपीएस              | 5340    | 2693                        |
| 85       | सिम्हाद्री                   | 10027   | 5779                        |
| 86       | दामोदरम संजीव्याह टीपीएस     | 1537    | 2793                        |
| 87       | सिम्हापुरी टीपीएस            | 2612    | 1419                        |
| 88       | थामिनापट्टनम टीपीएस          | 1167    | 615                         |
| 89       | विजाग टीपीपी                 | -       | 373                         |
| 90       | पैनमपुरम टीपीपी              | 2846    | 2693                        |
| 91       | रायचुर टीपीएस                | 7483    | 4117                        |
| 92       | बेल्हारी टीपीएस              | 3797    | 2474                        |
| 93       | उडुपी टीपीपी                 | 3352    | 1903                        |
| 94       | टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-II) | 1096    | 609                         |
| 95       | टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-I)  | 1293    | 264                         |
| 96       | एन्नोर टीपीएस                | 572     | 235                         |
| 97       | मेडुर टीपीएस                 | 6452    | 3564                        |
| 98       | नॉर्थ चेन्नई टीपीएस          | 6934    | 3888                        |
| 99       | तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी      | 5222    | 2476                        |
| 100      | वेल्लूर टीपीपी               | 5160    | 3411                        |
| 101      | मुत्तियारा टीपीपी            | -       | 1528                        |
| 102      | तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी      | 1680    | 1941                        |
| 103      | आईटीपीसीएल टीपीपी            | -       | 363                         |
| 104      | कोथागुडेम टीपीएस             | 9337    | 5421                        |
| 105      | रामागुंडम एसटीपीएस           | 13229   | 7195                        |
| 106      | काकातिया टीपीएस              | 2323    | 2075                        |
| 107      | रामागुंडम - बी टीपीएस        | 275     | 207                         |
| 108      | मुजफ्फरपुर टीपीएस            | 595     | 423                         |
| 109      | काहलगांव टीपीएस              | 12758   | 8194                        |
| 110      | बाढ़ II                      | 2777    | 2844                        |
| 111      | बरौनी टीपीएस                 | 0       | -                           |
| 112      | चंद्रापुरा (डीवीसी) टीपीएस   | 3727    | 2214                        |
| 113      | पतरातु टीपीएस                | 520     | 112                         |
| 114      | तेनुघाट टीपीएस               | 1987    | 622                         |
| 115      | बोकारो 'बी' टीपीएस           | 1432    | 760                         |
| 116      | माइथोन आरबी टीपीपी           | 4039    | 2389                        |
| 117      | कोडरमा टीपीपी                | 2176    | 1444                        |
| 118      | महादेव प्रसाद एसटीपीपी       | 1800    | 1382                        |
| 119      | आईबी वैली टीपीएस             | 2785    | 1692                        |
| 120      | तालचेर (ओल्ड) टीपीएस         | 3097    | 1783                        |
| 121      | तालचेर एसटीपीएस              | 18000   | 10197                       |

| क्रम सं. | टीपीएस का नाम            | 2015-16       | 2016-17 (अप्रैल से अक्टूबर) |
|----------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 122      | स्टेरलाइट टीपीपी         | 5597          | 3622                        |
| 123      | कमलंगा टीपीएस            | 3932          | 2493                        |
| 124      | देरांग टीपीपी            | 2775          | 3044                        |
| 125      | दुर्गापुर टीपीएस         | 748           | 141                         |
| 126      | बाकरेस्वर टीपीएस         | 4623          | 3092                        |
| 127      | मेजिया टीपीएस            | 7684          | 4752                        |
| 128      | बंदेल टीपीएस             | 963           | 907                         |
| 129      | डीपीएल टीपीएस            | 1370          | 878                         |
| 130      | कोलाघाट टीपीएस           | 5036          | 3356                        |
| 131      | सागरडिघी टीपीएस          | 1837          | 1633                        |
| 132      | संथालदीह टीपीएस          | 2482          | 1248                        |
| 133      | बज बज टीपीएस             | 3459          | 2061                        |
| 134      | साउदर्न रिप. टीपीएस      | 409           | 275                         |
| 135      | टीटागढ़ टीपीएस           | 477           | 167                         |
| 136      | फरक्का एसटीपीएस          | 8562          | 5446                        |
| 137      | दुर्गापुर स्टील टीपीएस   | 3057          | 2434                        |
| 138      | हल्दिया टीपीपी           | 2387          | 1747                        |
| 139      | रघुनाथपुर टीपीपी         | -             | 271                         |
| 140      | बोंगाईगांव टीपीपी        | -             | 222                         |
|          | <b>कुल खपत ('000 टन)</b> | <b>545673</b> | <b>330223</b>               |

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2152 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

ताप विद्युत संयंत्रों के चारों ओर और परिवेशी वायु में SO<sub>2</sub> और NO<sub>x</sub> स्तर

| क्रम सं. | नाम                          | 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार क्षमता | प्रकार | SO <sub>2</sub> की कीमत                | Nox की कीमत                            |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--------|--|--|
|          |                              |                                       |        | निर्धारित मानदंड=80 माइक्रो ग्राम/मी.3 | निर्धारित मानदंड=80 माइक्रो ग्राम/मी.3 |
| 1        | अकलतारा टीपीपी               | 1,200.0                               | थर्मल  | 24                                     | 29                                     |
| 2        | अमरकंटक                      | 450.0                                 | थर्मल  | 15                                     | 15                                     |
| 3        | अमरवती टीपीपी                | 1,350.0                               | थर्मल  | 18                                     | 20                                     |
| 4        | अनपरा                        | 1,630.0                               | थर्मल  | 39                                     | 38                                     |
| 5        | बदरपुर                       | 705.0                                 | थर्मल  | 22                                     | 56                                     |
| 6        | बाकरेश्वर                    | 1,050.0                               | थर्मल  | 8                                      | 55                                     |
| 7        | बंदेल                        | 450.0                                 | थर्मल  | 9                                      | 39                                     |
| 8        | बरसिंगसर लिग्नाइट            | 250.0                                 | थर्मल  | 10                                     | 29                                     |
| 9        | बेल्लारी टीपीएस              | 1,000.0                               | थर्मल  | 19                                     | 33                                     |
| 10       | भुसावल                       | 1,420.0                               | थर्मल  | 21                                     | 29                                     |
| 11       | बोकारो बी                    | 630.0                                 | थर्मल  | 42                                     | 32                                     |
| 12       | बज बज                        | 750.0                                 | थर्मल  | 9                                      | 50                                     |
| 13       | चंद्रपुर कोल                 | 2,840.0                               | थर्मल  | 19                                     | 23                                     |
| 14       | चंद्रपुरा                    | 890.0                                 | थर्मल  | 44                                     | 35                                     |
| 15       | डी.पी.एल.                    | 891.0                                 | थर्मल  | 9                                      | 54                                     |
| 16       | दादरी (एनसीटीपीपी)           | 1,820.0                               | थर्मल  | 13                                     | 27                                     |
| 17       | दहानु                        | 500.0                                 | थर्मल  | 12                                     | 17                                     |
| 18       | धारीवाल इंफ. टीपीपी          | 600.0                                 | थर्मल  | 28                                     | 22                                     |
| 19       | दुर्गापुर                    | 350.0                                 | थर्मल  | 9                                      | 55                                     |
| 20       | दुर्गापुर स्टील टीपीएस       | 1,000.0                               | थर्मल  | 65                                     | 54                                     |
| 21       | एमको वरौरा टीपीपी            | 600.0                                 | थर्मल  | 16                                     | 19                                     |
| 22       | एन्नोर                       | 450.0                                 | थर्मल  | 16                                     | 16                                     |
| 23       | फरक्का एसटीपीएस              | 2,100.0                               | थर्मल  | 40                                     | 28                                     |
| 24       | गांधी नगर                    | 870.0                                 | थर्मल  | 13                                     | 17                                     |
| 25       | जीएनडीटीपी (भटिंडा)          | 440.0                                 | थर्मल  | 29                                     | 32                                     |
| 26       | हल्दिया                      | 600.0                                 | थर्मल  | 14                                     | 21                                     |
| 27       | आई.बी. वैली                  | 420.0                                 | थर्मल  | 16                                     | 29                                     |
| 28       | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 1,200.0                               | थर्मल  | 8                                      | 13                                     |
| 29       | कोथागुडेम                    | 720.0                                 | थर्मल  | 32                                     | 26                                     |
| 30       | कोथागुडेम न्यू               | 1,000.0                               | थर्मल  | 42                                     | 29                                     |
| 31       | खापरखेड़ा-II                 | 1,340.0                               | थर्मल  | 26                                     | 27                                     |
| 32       | कहलगांव                      | 2,340.0                               | थर्मल  | 8                                      | 10                                     |

|    |                           |         |       |    |    |
|----|---------------------------|---------|-------|----|----|
| 33 | काकातिया टीपीपी           | 500.0   | थर्मल | 38 | 44 |
| 34 | कमलंगा                    | 1,050.0 | थर्मल | 12 | 19 |
| 35 | कसाईपल्ली                 | 270.0   | थर्मल | 34 | 37 |
| 36 | कवाई टीपीपी               | 1,320.0 | थर्मल | 19 | 16 |
| 37 | कोराडी                    | 1,280.0 | थर्मल | 16 | 27 |
| 38 | कोरबा एसटीपीएस            | 2,600.0 | थर्मल | 31 | 32 |
| 39 | कोरबा-ईस्ट                | 940.0   | थर्मल | 27 | 36 |
| 40 | कोरबा-वेस्ट               | 1,340.0 | थर्मल | 9  | 11 |
| 41 | कोटा                      | 1,240.0 | थर्मल | 13 | 18 |
| 42 | कच्छ लिग्.                | 290.0   | थर्मल | 25 | 30 |
| 43 | महात्मा गांधी टीपीपी      | 1,320.0 | थर्मल | 9  | 28 |
| 44 | मैथॉन आरबी टीपीपी         | 1,050.0 | थर्मल | 6  | 13 |
| 45 | मेदूर                     | 840.0   | थर्मल | 5  | 61 |
| 46 | मेदूर टीपीएस एक्सटें.     | 600.0   | थर्मल | 18 | 27 |
| 47 | मुंद्रा टीपीपी            | 4,620.0 | थर्मल | 38 | 27 |
| 48 | मुंद्रा यूएमपीपी          | 4000.00 | थर्मल | 13 | 17 |
| 49 | नासिक                     | 630.0   | थर्मल | 26 | 23 |
| 50 | नैवेली फर्स्ट एक्सटें.    | 420.0   | थर्मल | 30 | 21 |
| 51 | नैवेली स्टे.-I            | 600.0   | थर्मल | 30 | 21 |
| 52 | नैवेली स्टे.-II           | 1,470.0 | थर्मल | 30 | 21 |
| 53 | नैवेली टीपीएस एक्सपें.-II | 500.0   | थर्मल | 30 | 21 |
| 54 | नॉर्थ चेन्नई              | 630.0   | थर्मल | 26 | 23 |
| 55 | नॉर्थ चेन्नई एक्सटेंशन    | 1,200.0 | थर्मल | 24 | 23 |
| 56 | ओबरा-ए                    | 1,278.0 | थर्मल | 26 | 42 |
| 57 | पानीपत                    | 1,360.0 | थर्मल | 33 | 36 |
| 58 | पारस                      | 500.0   | थर्मल | 31 | 37 |
| 59 | परीछा                     | 1,140.0 | थर्मल | 43 | 39 |
| 60 | पार्ली                    | 1,130.0 | थर्मल | 15 | 22 |
| 61 | पथाडी टीपीएस फेज-I        | 600.0   | थर्मल | 17 | 19 |
| 62 | रामागुंडम-बी              | 62.5    | थर्मल | 25 | 33 |
| 63 | रामागुंडम एसटीपीएस        | 2,600.0 | थर्मल | 27 | 33 |
| 64 | रायचूर                    | 1,720.0 | थर्मल | 41 | 42 |
| 65 | रायगढ़ टीपीपी             | 1,000.0 | थर्मल | 9  | 20 |
| 66 | राजीव गांधी टीपीएस हिसार  | 1,200.0 | थर्मल | 33 | 36 |
| 67 | रायलसीमा                  | 1,050.0 | थर्मल | 19 | 21 |
| 68 | रिहंद                     | 3,000.0 | थर्मल | 70 | 87 |
| 69 | रोपार                     | 1,260.0 | थर्मल | 9  | 12 |
| 70 | सागरदिघी टीपीपी           | 600.0   | थर्मल | 9  | 51 |
| 71 | सलाया टीपीपी              | 1,200.0 | थर्मल | 16 | 32 |
| 72 | संजय गांधी                | 1,340.0 | थर्मल | 16 | 13 |
| 73 | संथालडीह                  | 980.0   | थर्मल | 7  | 49 |
| 74 | श्री सिंगाजी मालवा टीपीपी | 1,200.0 | थर्मल | 14 | 20 |
| 75 | सिक्का रिप.               | 490.0   | थर्मल | 10 | 18 |
| 76 | सिम्हाद्री                | 2,000.0 | थर्मल | 13 | 19 |

|     |                     |         |       |     |    |
|-----|---------------------|---------|-------|-----|----|
| 77  | सिम्हापुरी टीपीपी   | 600.0   | थर्मल | 14  | 15 |
| 78  | सिंगरौली एसटीपीएस   | 2,000.0 | थर्मल | 10  | 39 |
| 79  | सीपत एसटीपीएस       | 2,980.0 | थर्मल | 22  | 25 |
| 80  | सीतापुरम            | 43.0    | थर्मल | 123 | 37 |
| 81  | साउदर्न रिप.        | 135.0   | थर्मल | 8   | 52 |
| 82  | सूरत लिग.           | 500.0   | थर्मल | 36  | 41 |
| 83  | सूरतगढ              | 1,500.0 | थर्मल | 40  | 17 |
| 84  | तालचर               | 460.0   | थर्मल | 19  | 82 |
| 85  | तालचर एसटीपीएस      | 3,000.0 | थर्मल | 56  | 59 |
| 86  | तमनार टीपीपी        | 2,400.0 | थर्मल | 9   | 20 |
| 87  | टांडा               | 440.0   | थर्मल | 27  | 41 |
| 88  | टेनुघाट             | 420.0   | थर्मल | 57  | 54 |
| 89  | थामिनापट्टनम        | 300.0   | थर्मल | 12  | 14 |
| 90  | टिरोरा टीपीपी       | 3,300.0 | थर्मल | 22  | 34 |
| 91  | टीटागढ टीपीपी       | 240.0   | थर्मल | 17  | 42 |
| 92  | टोरंगल्लू एक्सटें.  | 600.0   | थर्मल | 29  | 31 |
| 93  | टोरंगल्लू आईएमपी    | 260.0   | थर्मल | 29  | 31 |
| 94  | टोर पावर सब.        | 400.0   | थर्मल | 25  | 28 |
| 95  | ट्रॉम्बे कोल        | 750.0   | थर्मल | 16  | 49 |
| 96  | तूतीकोरिन           | 1,050.0 | थर्मल | 19  | 15 |
| 97  | उकई कोल             | 1,350.0 | थर्मल | 41  | 29 |
| 98  | ऊंचाहार             | 1,050.0 | थर्मल | 36  | 46 |
| 99  | विजयवाड़ा           | 1,260.0 | थर्मल | 32  | 41 |
| 100 | विजयवाड़ा टीपीपी-IV | 500.0   | थर्मल | 29  | 37 |
| 101 | वानकबोरी            | 1,470.0 | थर्मल | 31  | 19 |
| 102 | साई वर्धा पावर      | 540.0   | थर्मल | 14  | 18 |
| 103 | यमुनानगर टीपीपी     | 600.0   | थर्मल | 35  | 36 |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2153

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

एल. ई. डी. लाइटिंग की सुलभता

2153. श्रीमती वानसुक साइम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत ने एल. ई. डी. लाइटिंग की लागत में भारी कमी करते हुए इसकी पहुंच में व्यापक रूप से सुधार किया है, जैसा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेन्सी द्वारा समुक्ति की गई है;
- (ख) क्या इंटरनेशनल एनर्जी एजेन्सी एल. ई. डी. कार्यक्रम के भारतीय मॉडल को भारत से बाहर इंडोनेशिया में चलाने का प्रयास करके इसे वैश्विक बनाने के लिए भारत के साथ भागीदारी कर रही है; और
- (ग) क्या भारत में, एल. ई. डी. की कीमतों में वर्ष 2014 के 310 रु प्रति एल. ई. डी. से कम होकर मार्च 2016 में 55 रु. से कम पर प्रति एल.ई.डी. भारी गिरावट आई है जबकि उत्पादन क्षमता में भी व्यापक बढ़ोत्तरी हुई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 5 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अधीन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल), जो कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो पहलें अर्थात् घरेलू दक्षता प्रकाश कार्यक्रम (डीईएलपी) और सड़क प्रकाश राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) की शुरुआत की गई है, जिसमें क्रमशः घरेलू प्रकाश और सड़क की लाइटों की जगह एलईडी बल्ब लगाए जाते हैं। ईईएसएल ने एक नया व्यापारिक मॉडल तैयार किया है जिसमें इनके द्वारा इन कार्यक्रमों में समग्र निवेश किया जाता है और ऊर्जा बचतों से कुछ समय पर निवेश वापस दिया जाता है। इससे इस कार्यक्रम के लिए किसी सरकारी वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस स्कीम में सब्सिडी का कोई घटक नहीं है और माँग तथा थोक खरीद के औसत से 310/-रुपए (फरवरी, 2014) से 38/-रुपए (अगस्त, 2016) तक एलईडी बल्बों की खरीद कीमतों में लगभग 88% तक की कमी आई है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है (इसी अवधि के दौरान एलईडी बल्बों की थोक कीमत 550 रुपए से 65 रुपए तक कम हुई)।

दिनांक 21.11.2016 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति नीचे दी गई है :-

| मानदंड                                      | डीईएलपी                               | एसएलएनपी                     |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| बदले गए बल्बों/स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या | 17.89 करोड़                           | 14.45 लाख                    |
| बचाई गई क्षमता उत्पादन                      | 4649 मेगावाट                          | 47.69 मेगावाट                |
| बचत की गई ऊर्जा                             | 23.2 बिलियन केडब्ल्यूएच/वर्ष          | 512959 केडब्ल्यूएच/दिन       |
| कार्बन फुट प्रिंट में कमी                   | 18.8 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड/वर्ष | 435 टन कार्बनडाई ऑक्साइड/दिन |

एलईडी कार्यक्रम को वैश्विक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) और भारत सरकार/ईईएसएल के बीच कोई भागीदारी नहीं है। तथापि, आईईए इंडोनेशिया सहित विभिन्न देशों में अपनी सफलता पर जोर दे रहा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2154

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं का विकास और आधुनिकीकरण

2154. श्री सन्तियुस कुजूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एन.ई.आर.) में विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली को विकसित करने, आधुनिक बनाने तथा सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सृजित की जाने वाली अवसंरचना, आबंटित, निर्मुक्त तथा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा होने की अपेक्षा है; और

(ग) परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में पारेषण और वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित दो स्कीमें संस्वीकृत की हैं :

- (i) अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में 4754.42 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की व्यापक स्कीम, तथा :
- (ii) असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा के लिए 5111.33 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी)।

पारेषण/उप-पारेषण तथा वितरण में सृजित की जाने वाली अवसंरचना के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में आबंटित, जारी तथा व्यय की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : परियोजनाओं का समयबद्ध ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :

- (i) अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम तथा एनईआरपीएसआईपी में पारेषण और वितरण स्कीम के सुदृढ़ीकरण की विस्तृत स्कीम के लिए पावरग्रिड को "डिजाइन व कार्यान्वयन पर्यवेक्षण परामर्शदाता" के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।
- (ii) राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण, विभिन्न स्वीकृतियों, मार्गाधिकार इत्यादि की प्रक्रिया को सरल बना रही हैं ताकि परियोजना को 48 माह की निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके।
- (iii) सभी पूर्वोत्तर राज्यों के सदस्यों वाली एक संचालन समिति परियोजना की प्रगति की आवधिक रूप से समय-समय पर समीक्षा करती रहती है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

|                | पारेषण/उप-पारेषण<br>(132 केवी और उससे अधिक) |                   |                                | वितरण<br>(अरुणाचल के लिए 33 केवी और सिक्किम के लिए 66 केवी) |                   |                                |
|----------------|---|-------------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
|                | लाइन<br>(सीकेएम)                            | नई एस/एस<br>(सं.) | कुल एमवीए<br>(नई और संवर्द्धन) | लाइन<br>(कि.मी.)  | नई एस/एस<br>(सं.) | कुल एमवीए<br>(नई और संवर्द्धन) |
| अरुणाचल प्रदेश | 1917  | 24                | 544                            | 1923  | 70                | 465                            |
| सिक्किम        | 118   | 7                 | 590                            | 281   | 14                | 170                            |

|          | पारेषण/उप-पारेषण<br>(132 केवी और उससे अधिक) |                   |                                | वितरण (33 केवी से कम नहीं) |                   |                                |
|----------|---|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
|          | लाइन<br>(सीकेएम)                            | नई एस/एस<br>(सं.) | कुल एमवीए<br>(नई और संवर्द्धन) | लाइन<br>(कि.मी.)           | नई एस/एस<br>(सं.) | कुल एमवीए<br>(नई और संवर्द्धन) |
| मणिपुर   | 376   | 11                | 1644                           | 479                        | 16                | 240                            |
| मेघालय   | 317   | 2                 | 160                            | 111                        | 13                | 229.4                          |
| मिजोरम   | 416   | 4                 | 940                            | 263                        | 11                | 135                            |
| असम      | 214   | 3                 | 125                            | 5.2                        | 1                 | 6.3                            |
| नागालैंड | 376   | 5                 | 245                            | 76.5                       | 10                | 190                            |
| त्रिपुरा | 415   | 8                 | 1306.5                         | 1096                       | 34                | 450.5                          |
| कुल      | 2114  | 33                | 4420.5                         | 2030.7                     | 85                | 1251.2                         |

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

(i) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए विस्तृत योजना हेतु निधि आबंटन नीचे दिया गया है:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| अरुणाचल प्रदेश | 3199.45 करोड़ रुपए |
| सिक्किम        | 1554.97 करोड़ रुपए |
| कुल            | 4754.42 करोड़ रुपए |

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी और व्यय की गई निधि:

| क्रम सं. | राज्य          | 2014-15 में प्राप्त की गई राशि (रु.) | 2014-15 में व्यय की गई राशि (रु.) | 2015-16 में प्राप्त की गई राशि (रु.) | 2015-16 में व्यय की गई राशि (रु.) | 2016-17 में अब तक प्राप्त की गई राशि (रु.) | 2016-17 में व्यय की गई राशि (रु.) |
|----------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1        | अरुणाचल प्रदेश | 6730,00,000                          | 3941,80,600                       | 10274,99,725                         | 2176,81,233                       | -  | 7992,70,610                       |
| 2        | सिक्किम        | 327,000,000                          | 1522,07,053                       | 4725,00,275                          | 776,19,992                        | -  | 3153,26,297                       |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| असम-      | 1473.80 करोड़ रुपए |
| मणिपुर-   | 442.22 करोड़ रुपए  |
| मेघालय-   | 776.93 करोड़ रुपए  |
| मिजोरम-   | 316.76 करोड़ रुपए  |
| नागालैंड- | 729.42 करोड़ रुपए  |
| त्रिपुरा- | 1372.20 करोड़ रुपए |
| कुल       | 5111.33 करोड़ रुपए |

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी और व्यय की गई निधि:

| क्रम सं. | 2014-15 में प्राप्त की गई राशि (रु.) | 2014-15 में व्यय की गई राशि (रु.) | 2015-16 में प्राप्त की गई राशि (रु.) | 2015-16 में व्यय की गई राशि (रु.) | 2016-17 में अब तक प्राप्त की गई राशि (रु.) | 2016-17 में व्यय की गई राशि (रु.) |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1        | 15000,00,000                         | 4276,58,849                       | 24733,00,000                         | 3316,71,354                       | -  | 8909,02,672                       |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2155

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत केन्द्रों के लिए वित्तीय व संभार सहायता

2155. श्री तपन कुमार सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तापीय विद्युत केन्द्रों के लिए वित्तीय तथा संभार सहायता बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिये गए हैं;

(ख) क्या ताप विद्युत केन्द्रों में प्रयुक्त कोयले तथा अन्य कच्चे माल और मशीनरी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि नियंत्रण से बाहर चली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात् ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना को लाइसेंस मुक्त किया जा चुका है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी, जो ग्रिड की कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है तो वह लाइसेंस/अनुमति लिए बिना ही उत्पादन स्टेशन स्थापित, प्रचालित एवं अनुरक्षित कर सकती है।

ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए विकासकर्ता को भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए भूमि एवं जल की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा संबंधित राज्य सरकारों से की जाती है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। तथापि भारत सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों की कोयला आपूर्ति में सुधार लाने के

लिए, कई कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं :

- I. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 204 कोयला ब्लॉकों को रद्द किए जाने के पश्चात्, सरकार ने आज तक नीलामी/आबंटन के माध्यम से, लगभग 50,000 मेगावाट क्षमता की सहायता करते हुए विद्युत क्षेत्र को 49 खंडों का पुनःआबंटन सुनिश्चित किया है।
- II. नियमित अंतरालों पर पर्याप्त मात्रा प्रस्तुत करते हुए, विद्युत क्षेत्र के लिए पृथक ई-नीलामी खिड़की प्रारंभ की जा चुकी है ताकि सभी विद्युत संयंत्रों को नियमित आधार पर कोयला उपलब्ध करवाया जा सके।
- III. भारत सरकार ने केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिर्दिष्ट वास्तविक उपयोगकर्ता संयंत्रों, जिन्हें कोयला खानें अथवा ब्लॉक आबंटित किए जा चुके हैं, को ब्रिज-लिंकेज प्रदान करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश अधिसूचित कर दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में ब्रिज लिंकेज आवेदन-पत्र अनुमोदित किए जा चुके हैं।
- IV. सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए, घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन का अनुमोदन कर दिया है।
- V. निरंतर प्रयासों तथा निगरानी से, देश में घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2156

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

वितरण कंपनियों द्वारा बिजली शुल्क में वृद्धि किया जाना

2156. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों तथा उन्हें घाटे से उबारने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युत वितरण कंपनियों की ऋणग्रस्त उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु राहत योजना के भाग के रूप में तथा उनके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए बिजली की कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी करने की अनुमति दे दी गई है अथवा अनुमति देना प्रस्तावित है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया सहित इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) उपभोक्ताओं को वहनीय दर पर अबाधित बिजली प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित नवीनतम "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के कार्य निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, 2014-15 के दौरान उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत का विक्रय करने वाली यूटिलिटीयों की हानियां 59,172 करोड़ रूपए हैं। यूटिलिटी-वार और राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) नाम की एक स्कीम

शुरू की है। इस स्कीम का डिस्कामों की प्रचालनात्मक दक्षता को सुधारने के अतिरिक्त, वितरण क्षेत्र में ब्याज के भार, विद्युत की लागत और विद्युत हानियों को कम करना है।

**(ख) और (ग) :** विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत वितरण और इसकी खपत राज्य सरकार/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वितरण कंपनियों के प्रशुल्क का निर्धारण संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के प्रत्यक्ष विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है।

**(घ) :** सभी के लिए चौबीसों घंटे बिजली की पहल के अंतर्गत, राज्य उपभोक्ताओं को अबाधित बिजली की आपूर्ति करने के लिए **रूपरेखा तैयार करने हेतु** प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने उद्देश्य हासिल करने हेतु राज्यों की मदद करने के लिए उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी कई स्कीमे शुरू की हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2156 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2014-15 में घाटे में चल रही यूटिलिटियों का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

| क्षेत्र               | राज्य                     | यूटिलिटी            | 2014-15        |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| पूर्वी                | बिहार                     | एनबीपीडीसीएल        | (491)          |
|                       |                           | एसबीपीडीसीएल        | (748)          |
|                       | <b>बिहार कुल</b>          |                     | <b>(1,239)</b> |
|                       | झारखंड                    | जेबीवीएनएल          | (37)           |
|                       | <b>झारखंड कुल</b>         |                     | <b>(37)</b>    |
|                       | ओडिशा                     | सेसू                | (202)          |
|                       |                           | नेसको               | (123)          |
|                       |                           | सेसको               | (379)          |
|                       |                           | वेसको               | (224)          |
|                       | <b>ओडिशा कुल</b>          |                     | <b>(929)</b>   |
|                       | सिक्किम                   | सिक्किम पीडी        | (126)          |
|                       | <b>सिक्किम कुल</b>        |                     | <b>(126)</b>   |
| <b>पूर्वी कुल</b>     |                           |                     | <b>(2,330)</b> |
| पूर्वोत्तर            | अरुणाचल प्रदेश            | अरुणाचल प्रदेश पीडी | (257)          |
|                       | <b>अरुणाचल प्रदेश कुल</b> |                     | <b>(257)</b>   |
|                       | असम                       | एपीडीसीएल           | (578)          |
|                       | <b>असम कुल</b>            |                     | <b>(578)</b>   |
|                       | मणिपुर                    | एमएसपीडीसीएल        | 0              |
|                       | <b>मणिपुर कुल</b>         |                     | <b>0</b>       |
|                       | मेघालय                    | एमईपीडीसीएल         | (202)          |
|                       | <b>मेघालय कुल</b>         |                     | <b>(202)</b>   |
|                       | मिजोरम                    | मिजोरम पीडी         | (192)          |
|                       | <b>मिजोरम कुल</b>         |                     | <b>(192)</b>   |
|                       | नागालैंड                  | नागालैंड पीडी       | (315)          |
|                       | <b>नागालैंड कुल</b>       |                     | <b>(315)</b>   |
|                       | त्रिपुरा                  | टीएसईसीएल           | (82)           |
|                       | <b>त्रिपुरा कुल</b>       |                     | <b>(82)</b>    |
| <b>पूर्वोत्तर कुल</b> |                           |                     | <b>(1,625)</b> |
| उत्तरी                | हरियाणा                   | डीएचबीवीएनएल        | (636)          |
|                       |                           | यूएचबीवीएनएल        | (1,481)        |
|                       | <b>हरियाणा कुल</b>        |                     | <b>(2,117)</b> |
|                       | हिमाचल प्रदेश             | एचपीएसईबी लि.       | (125)          |
|                       | <b>हिमाचल प्रदेश कुल</b>  |                     | <b>(125)</b>   |
|                       | जम्मू एवं कश्मीर          | जे एंड के पीडीडी    | (3,913)        |

|             |                      |                               |          |
|-------------|----------------------|-------------------------------|----------|
|             | जम्मू एवं कश्मीर कुल |                               | (3,913)  |
|             | पंजाब                | पीएसपीसीएल                    | (1,100)  |
|             | पंजाब कुल            |                               | (1,100)  |
|             | राजस्थान             | एवीवीएनएल                     | (3,593)  |
|             |                      | जेडीवीवीएनएल                  | (4,146)  |
|             |                      | जेवीवीएनएल                    | (4,735)  |
|             | राजस्थान कुल         |                               | (12,474) |
|             | उत्तर प्रदेश         | डीवीवीएन                      | (2,936)  |
|             |                      | केसको                         | (168)    |
|             |                      | एमवीवीएन                      | (1,994)  |
|             |                      | पाश वीवीएन                    | (1,577)  |
|             |                      | पूर्व वीवीएन                  | (2,000)  |
|             | उत्तर प्रदेश कुल     |                               | (8,675)  |
|             | उत्तराखंड            | उत्तराखंड पीसीएल              | (260)    |
|             | उत्तराखंड कुल        |                               | (260)    |
| उत्तरी कुल  |                      |                               | (28,663) |
| दक्षिणी     | आंध्र प्रदेश         | एपीईपीडीसीएल                  | (722)    |
|             |                      | एपीएसपीडीसीएल                 | (1,827)  |
|             | आंध्र प्रदेश कुल     |                               | (2,549)  |
|             | कर्नाटक              | गेसकॉम                        | (110)    |
|             | कर्नाटक कुल          |                               | (110)    |
|             | केरल                 | केएसईबीएल                     | (1,273)  |
|             | केरल कुल             |                               | (1,273)  |
|             | तमिलनाडु             | टैगेडको                       | (12,757) |
|             | तमिलनाडु कुल         |                               | (12,757) |
|             | तेलंगाना नहीं        | टीएसएनपीडीसीएल                | (1,741)  |
|             |                      | टीएसएसपीडीसीएल                | (1,171)  |
|             | तेलंगाना कुल         |                               | (2,912)  |
| दक्षिणी कुल |                      |                               | (19,601) |
| पश्चिमी     | छत्तीसगढ़            | सीएसपीडीसीएल                  | (1,569)  |
|             | छत्तीसगढ़ कुल        |                               | (1,569)  |
|             | गोवा                 | गोवा पीडी                     | (17)     |
|             | गोवा कुल             |                               | (17)     |
|             | मध्य प्रदेश          | एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल    | (2,765)  |
|             |                      | एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल | (1,061)  |
|             |                      | एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल  | (1,175)  |
|             | मध्य प्रदेश कुल      |                               | (5,001)  |
|             | महाराष्ट्र           | एमएसईडीसीएल                   | (366)    |
|             | महाराष्ट्र कुल       |                               | (366)    |
| पश्चिमी कुल |                      |                               | (6,953)  |
| सकल योग     |                      |                               | (59,172) |

टिप्पणी : हानियों के आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2157

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत की कमी

2157. श्री सी. पी. नारायणनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितना विद्युत उत्पादन हुआ है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान बिजली की कितनी खपत हुई है;
- (ग) क्या देश में विद्युत की अधिकता है या कमी है;
- (घ) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के किसी भाग में विद्युत कटौती/पावर ब्रेक हुए हैं; और
- (ङ) देश में विद्युत की अधिकता के बावजूद कुछ राज्यों में विद्युत कटौती किए जाने तथा करोड़ों लोगों के घरों में अभी भी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन और विद्युत की खपत अनुबंध में दी गई है।

(ग) : राज्य विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर, 2016) के दौरान विद्युत/ऊर्जा कमी 0.7% है।

(घ) और (ङ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र और पारेषण प्रणालियां स्थापित करके राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई सूचना के अनुसार, कुछ राज्य निम्नलिखित कारणों की वजह से देश में अधिशेष विद्युत के बावजूद ऊर्जा कमी का सामना कर रहे हैं:

1. उप-पारेषण और वितरण संबंधी अड़चनें।
2. राज्य स्वामित्व के उत्पादन केंद्रों का खराब निष्पादन।
3. कई राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की खराब वित्तीय स्थिति।
4. उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2157 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले तीन वर्षों के दौरान परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन

| वर्ष    | उत्पादन (बिलियन यूनिट में) |
|---------|----------------------------|
| 2013-14 | 967                        |
| 2014-15 | 1049                       |
| 2015-16 | 1108                       |

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत खपत

| वर्ष    | उत्पादन (बिलियन यूनिट में) |
|---------|----------------------------|
| 2013-14 | 824                        |
| 2014-15 | 874                        |
| 2015-16 | 949                        |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2158

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में जल विद्युत परियोजनाएं

2158. श्रीमती शशिकला पुष्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालनरत हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान किसी न किसी कारण से इनको बंद किए जाने की अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके बंद रहने के दौरान निरंतर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दिनांक 30 नवम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में कुल 2182.20 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाले 27 जल विद्युत स्टेशन (25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाले) प्रचालनाधीन है। ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग) : जबरन बंदी (15 दिनों से अधिक के लिए) के अंतर्गत यूनितों के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(घ) : भारत के संविधान के अंतर्गत विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य में विद्युत आपूर्ति का प्रबंधन और मांग आपूर्ति संतुलन बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन क्षमता स्थापित करके और इन केंद्रों से उनको विद्युत आवंटित करने के माध्यम से विद्युत आपूर्ति स्थिति का प्रबंधन करने में उनके प्रयासों को केवल अनुपूरित करती है। केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी सीमा के बाहर स्रोतों अर्थात् अधिशेष वाले राज्यों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी), विद्युत एक्सचेंज इत्यादि से विद्युत की अपेक्षित मात्रा खरीद करने के लिए समर्थ बनाने हेतु केंद्रीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उच्च वोल्टेज पारेषण प्रणाली भी स्थापित करती है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2158 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| क्रम सं. | स्टेशन का नाम       | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) |
|----------|---------------------|----------------------------|
| 1        | अलियर               | 60.00                      |
| 2        | भवानी कट. बैराज     | 30.00                      |
| 3        | भवानी कट. बैराज-II  | 30.00                      |
| 4        | भवानी कट. बैराज-III | 30.00                      |
| 5        | कोडायर-I            | 60.00                      |
| 6        | कोडायर-II           | 40.00                      |
| 7        | कुंडहा-I            | 60.00                      |
| 8        | कुंडहा-II           | 175.00                     |
| 9        | कुंडहा-III          | 180.00                     |
| 10       | कुंडहा-IV           | 100.00                     |
| 11       | कुंडहा-V            | 40.00                      |
| 12       | लोअर मेटूर-I        | 30.00                      |
| 13       | लोअर मेटूर-II       | 30.00                      |
| 14       | लोअर मेटूर-III      | 30.00                      |
| 15       | लोअर मेटूर-IV       | 30.00                      |
| 16       | मेटूर डैम           | 50.00                      |
| 17       | मेटूर टनल           | 200.00                     |
| 18       | मोयार               | 36.00                      |
| 19       | पपानासम             | 32.00                      |
| 20       | पर्सन्स वैली        | 30.00                      |
| 21       | पेरियार             | 140.00                     |
| 22       | पाइकारा             | 59.20                      |
| 23       | पाइकारा अल्टीमेट    | 150.00                     |
| 24       | सरकारपथी            | 30.00                      |
| 25       | शोलयार-I व II       | 95.00                      |
| 26       | सुरुलियार           | 35.00                      |
| 27       | कदमपराई             | 400.00                     |
|          | <b>तमिलनाडु कुल</b> | <b>2182.20</b>             |

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2158 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**टांगैडको के संबंध में 01.04.2015 से 31.03.2016 तक जबरन बंदी (केवल 15 दिन से अधिक)**

| क्रम सं. | स्टेशन का नाम                          | क्षमता मेगावाट में | यूनिट सं. | जबरन बंदी  |            | दिनों की संख्या | मरम्मत का ब्यौरा   |
|----------|--|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------|--|
|          |  |                    |           | से         | तक         |                 |  |
| 1        | कदमपराई                                |                    |           |            |            |                 |  |
|          | यूनिट-I                                | 100                | 1         | 10.10.2015 | 22.11.2015 | 43              | स्टेटर अर्थ फॉल्ट  |
|          |  |                    |           | 08.02.2016 | 29.02.2016 | 22              |  |
|          | यूनिट-III                              | 100                | 3         | 12.11.2015 | 29.02.2016 | 113             | स्टेटर अर्थ फॉल्ट  |
|          | यूनिट-IV                               | 100                | 4         | 01.04.2015 | 22.11.2015 | 236             | स्टेटर एंड रोटर रेक्टिफिकेशन                                   |
| 2        | कुंडहा-V                               | 20                 | 2         | 15.04.15   | 21.05.15   | 36              | एमआईवी कंट्रोल मैकेनिज्म बॉक्स वाटर लीकेज रेक्टिफिकेशन वर्क।   |
| 3        | पुशेफ                                  | 50                 | 2         | 29.03.15   | 26.05.15   | 58              | यूनिट-2 नॉजेल पायलट वाल्व-1 समस्या।                            |
|          |  |                    | 2         | 18.06.15   | 6.08.15    | 49              | क्षतिग्रस्त एमआईवी, सर्विस सील रिप्लेसमेंट वर्क।               |
| 4        | मोयार                                  | 12                 | 3         | 16.06.15   | 7.07.15    | 21              | रनर के लिए ब्रेक डाउन।   |
| 5        | लोअर मेडूर बैराज पावर हाउस 1/चेक्कानुर | 15                 | 1         | 11.08.2015 | 20.10.2015 | 71              | स्टेटर अर्थ फॉल्ट विफल 6 संख्या स्टेटर कॉइल नए से प्रतिस्थापित |
| 6        | पेरियार                                | 42                 | 1         | 16.01.2016 | 31.01.2016 | 15              | एमओओजी वाल्व समस्या के कारण ओपीयू तापमान काफी अधिक।            |

**टांगैडको के संबंध में 01.04.2016 से 31.11.2016 में अनिवार्य बंदी (केवल 15 दिन से अधिक)**

| क्रम सं. | स्टेशन का नाम                             | क्षमता मेगावाट में | यूनिट सं. | अनिवार्य बंदी |            | दिनों की संख्या | मरम्मत का ब्यौरा                                    |
|----------|---|--------------------|-----------|---------------|------------|-----------------|---|
|          |   |                    |           | से            | तक         |                 |   |
| 1        | कदमपराई पावर हाउस                         |                    |           |               |            |                 |   |
|          | यूनिट-I                                   | 100                | 1         | 15.07.2016    | 31.07.2016 | 17              | स्टेटर अर्थ फॉल्ट।                                  |
|          |   |                    |           | 09.11.2016    | 30.11.2016 | 22              | रनर बोल्ट डिसलोकेशन                                 |
|          | यूनिट-III                                 | 100                | 3         | 14.06.2016    | 24.08.2016 | 72              | एमआईवी सर्वो मोटर समस्या                            |
|          |   |                    |           | 22.10.2016    | 30.11.2016 | 40              | एमआईवी स्ट्रक अप समस्या                             |
| 2        | मोयार पीएच                                | 12                 | 3         | 26.03.16      | 15.04.16   | 20              | रनर के लिए ब्रेक डाउन                               |
|          |   |                    | 2         | 17.05.16      | 27.06.16   | 42              | स्टेटर कॉइल "बी" फेज अर्थ फॉल्ट के कारण फॉल्ट ट्रिप |
|          |   |                    | 1         | 28.07.16      | 10.08.16   | 14              | रनर ब्रेक डाउन वर्क।                                |
| 3        | भवानी कट्टलाई बैराज पावर हाउस 1/सयमासंगली | 15                 | 2         | 09.05.2016    | 31.05.2016 | 23              | विफल शाफ्ट सील को नई से प्रतिस्थापित।               |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2159

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ईंधन को बिजली में परिवर्तित करने की नई प्रौद्योगिकी

2159. श्री अनिल देसाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एक भारतीय प्रतिष्ठान ने एक आसान और प्रदूषण रहित तरीके से बिजली का उत्पादन किया है;
- (ख) क्या 'सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल' जो एक स्वच्छ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से ईंधन को बिजली में परिवर्तित करती है, फार्चून 500 में शामिल 100 से भी अधिक कंपनियों के लिए स्वच्छ विद्युत का उत्पादन करती है;
- (ग) क्या भारत मौजूदा अवसंरचना जो कि पूंजी प्रधान तथा अलोचदार है और जिसमें लंबी-लंबी योजनाएं बनाने की जरूरत होती है, को एक अत्यधिक लोचदार, माड्यूलर कोटि उन्नयन करने योग्य तथा त्वरित रूप से तैनात करने योग्य सर्वस में हस्तांतरित कर सकता है; और
- (घ) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जा सकता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ब्लूम एनर्जी, जो संयुक्त राज्य आधारित फर्म है, विद्युत उत्पादन की बेहतर दक्षता के साथ स्वच्छ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से फ्लेक्सी फ्यूल जैसे प्राकृतिक गैस, शुद्धीकृत बायोगैस सहित विद्युत उत्पादित करने के लिए ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल में सुधार करती है तथा ग्रीन हाउस एवं प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनो ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है तथा जैविक घटकों को वाष्पशील बनाती है। ब्लूम एनर्जी की सूची में वेबसाइट पर लगभग 70 उपभोक्ताओं के नाम हैं।

(ग) और (घ) : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत देश में पहले ही 49.2 लाख फैमिली बायोगैस संयंत्रों तथा बायोगैस रुट के उत्पादन के माध्यम से अवशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए कुछ संयंत्रों की अवसंरचना मौजूद है। इन कार्यक्रमों के आगामी कार्यान्वयन से इस अवसंरचना में विस्तार हो रहा है। फैमिली बायोगैस संयंत्र ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल (एसओएफसी) के साथ संयोजन के लिए व्यवहार्य नहीं है। एसओएफसी प्रणालियों की तैनाती फीडस्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करती है जो प्राकृतिक गैस; हाइड्रोजन अथवा शुद्धीकृत बायोगैस हो सकती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2160

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

केरल में नए विद्युत संयंत्र

2160. श्री अब्दुल वहाब:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में विद्युत संयंत्र संस्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) राज्य में विद्युत के उत्पादन/छूट की मौजूदा आवश्यकताओं की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कम्पनी यदि ग्रिड में संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो वह अधिनियम के अधीन लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केन्द्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रखरखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति अपेक्षित होती है।

वर्तमान में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति हेतु केरल राज्य से कोई हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान अक्टूबर, 2016 तक केरल की विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत है:-

| वित्त वर्ष                           | माँग  | उपलब्धता | अधिशेष (+)<br>कमी (-) |      | व्यस्ततम<br>माँग | व्यस्ततम<br>पूर्ति | अधिशेष (+)<br>कमी (-) |      |
|--------------------------------------|-------|----------|-----------------------|------|------------------|--------------------|-----------------------|------|
|                                      |       |          | (एमयू)                | (%)  |                  |                    | (एमयू)                | (%)  |
| 2015-16                              | 23318 | 23194    | -124                  | -0.5 | 3977             | 3856               | -121                  | -3.1 |
| 2016-17<br>(अक्टूबर, 16<br>तक अंतिम) | 14107 | 14084    | -23                   | -0.2 | 4132             | 3996               | -135                  | -3.3 |

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि केरल में वर्तमान में ऊर्जा की कमी शायद ही होती है। तथापि, यह व्यस्ततम घण्टों के दौरान कम अवधियों के लिए कुछ कमी झेल रहा है, जिसे राज्य द्वारा स्पॉट/लघु अवधि क्रय के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2161

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली का अंतर-क्षेत्रीय पारेषण

2161. डॉ. आर. लक्ष्मणन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतरक्षेत्रीय पारेषण कोरिडोर के माध्यम से अतिरिक्त बिजली वाले राज्यों/क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले राज्यों/क्षेत्रों में नियमित रूप से बिजली का अंतरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कोरिडोर के माध्यम से तमिलनाडु से अन्य राज्यों/क्षेत्रों को अंतरित की गई बिजली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य राज्यों/क्षेत्रों से तमिलनाडु को अंतरित बिजली का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अधिशेष विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों/क्षेत्रों को अंतर्क्षेत्रीय पारेषण कॉरिडोरों के जरिए नियमित रूप से विद्युत का अंतरण किया जा रहा है।

(ख) : अप्रैल-अक्टूबर, 2016 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को/से अंतरित विद्युत नीचे दी गई है:

| क्षेत्र            | निवल आयात (+)/आयात (-)<br>(बिलियन यूनिट) |
|--------------------|--|
| उत्तरी क्षेत्र     | -37.67                                   |
| पश्चिमी क्षेत्र    | +39.16                                   |
| पूर्वी क्षेत्र     | +21.95                                   |
| दक्षिणी क्षेत्र    | -23.9                                    |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | +0.46                                    |

(ग) : अप्रैल-अक्टूबर, 2016 की अवधि के दौरान तमिलनाडु से अंतर्क्षेत्रीय और अंतरा-क्षेत्रीय पारेषण कॉरिडोरों के जरिए अन्य राज्यों/क्षेत्रों को अंतरित विद्युत 0.16 बिलियन यूनिट है।

(घ) : अप्रैल-अक्टूबर, 2016 की अवधि के लिए अन्य राज्यों/क्षेत्रों से तमिलनाडु को अंतरित विद्युत 10.34 बीयू है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2162

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

थीन बांध के लिए हस्ताक्षरित समझौते का कार्यान्वयन

2162. श्री शमशेर सिंह मन्हासः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या थीन बांध के निर्माण के समय रोजगार तथा बिजली उत्पादन के हिस्से के संबंध में पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;
- (ख) यदि हां, तो क्या जम्मू-कश्मीर के प्रभावित युवकों को रोजगार प्रदान करने, बिजली के हिस्से, पानी आदि से संबंधित समझौते में दिए सभी खंडों को पूरा किया जा चुका है; और
- (ग) यदि नहीं, तो राज्य को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, थीन बांध परियोजना में रोजगार और विद्युत के हिस्से के संबंध में, वर्ष 1979 में, पंजाब एवं जम्मू व कश्मीर सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के अनुसार, जम्मू व कश्मीर सरकार थीन बांध और शाहपुरकांडी बैराज से उत्पादित कुल विद्युत में से 20 प्रतिशत का हिस्सा बस बार उत्पादन लागत पर प्राप्त करेगी, परंतु जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा सरकार विद्युत के उक्त हिस्से का अपने क्षेत्र में उपयोग करने में असमर्थ रहने पर अथवा अन्यथा रूप से इसे बेचने की इच्छुक होने पर, अधिशेष विद्युत पंजाब सरकार को, परस्पर रूप से सहमत दर पर बेची जाएगी। इस करार में यह व्यवस्था भी थी कि थीन बांध परियोजना के निर्माण तथा प्रचालन के लिए सिंचाई और विद्युत, दोनों क्षेत्रों के लिए, सभी श्रेणियों में अपेक्षित सभी कार्मिकों में से 15% कार्मिक, वास्तविक उपलब्धता के अर्धयधीन जम्मू व कश्मीर राज्य के संवर्गों से लिए जाएंगे।

(ख) और (ग) : पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर सरकारों के बीच के करार के खण्डों को पूरा किए जाने के संबंध में, भारत सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2163  
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली की स्थिति

2163. डॉ. सत्यनारायण जटिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तिथि के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन में किस-किस स्रोत से कितना-कितना उत्पादन किया जा रहा है;
- (ख) प्रदेश-वार विद्युत उत्पादन प्रत्येक प्रदेश की उत्पादन क्षमता, उनकी मांग, आपूर्ति तथा इसके अंतर की स्थिति क्या है; और
- (ग) विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर प्रदेश तथा कमी वाले प्रदेश तथा उनकी आपूर्ति का स्रोत और तत्संबंधी मात्रा क्या-क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : अप्रैल-अक्टूबर, 2016 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। अप्रैल-अक्टूबर, 2016 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अप्रैल-अक्टूबर, 2016 के दौरान राज्यवार मांग एवं आपूर्ति का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है। 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। चालू वर्ष 2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक) के दौरान औसत ऊर्जा कमी 0.7% है।

राज्य अपने स्वयं के उत्पादन स्टेशनों से, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से आवंटित विद्युत तथा द्विपक्षीय संविदाओं के अंतर्गत विद्युत की खरीद के माध्यम से और विद्युत एक्सचेंजों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2163 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

अप्रैल-अक्तूबर, 2016 के दौरान श्रेणी/स्रोत-वार निगरानी की गई क्षमता और उत्पादन

| श्रेणी/स्रोत  | 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार<br>निगरानी की गई क्षमता<br>(मेगावाट) | उत्पादन (एमयू)              |
|---|---|-----------------------------|
|   |   | 2016-17 (अक्तूबर, 2016 तक)* |
| हाइड्रो   | 43112.42  | 93215.45                    |
| थर्मल   | 213138.06   | 568848.55                   |
| कोयला   | 181046.5  | 518947.33                   |
| डीजल  | 918.93  | 169.76                      |
| हाई स्पीड डीजल  | 255   | 0                           |
| लिग्नाइट  | 6110  | 19897.78                    |
| बहु ईंधन  | 60  | 0                           |
| नाप्था  | 701.58  | 21.28                       |
| प्राकृतिक गैस   | 24046.05  | 29812.4                     |
| न्यूक्लियर  | 5780  | 22135.83                    |
| सकल योग   | 262030.48   | 684199.83                   |
| * वास्तविक-सह-आकलन पर आधारित अनंतिम   |   |                             |
| टिप्पणी: 1. परंपरागत स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) के 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से उत्पादन |   |                             |
| 2. भूटान से आयात सहित जल विद्युत उत्पादन  |   |                             |

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2163 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| अप्रैल-अक्तूबर, 2016 के दौरान राज्य-वार निगरानी की गई क्षमता और उत्पादन |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| राज्य   | 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट) | उत्पादन (एमयू)              |
|   |   | 2016-17 (अक्तूबर, 2016 तक)* |
| बीबीएमबी  | 2866.3  | 7425.79                     |
| दिल्ली  | 3048.4  | 4374.69                     |
| हरियाणा   | 5971.59   | 11906.37                    |
| हिमाचल प्रदेश   | 6727.02   | 22896.73                    |
| जम्मू व कश्मीर  | 3294  | 11850.66                    |
| पंजाब   | 7591  | 17834.34                    |
| राजस्थान  | 10454.13  | 29454.56                    |
| उत्तर प्रदेश  | 22817.74  | 69841.47                    |
| उत्तराखंड   | 3981.35   | 9994.34                     |
| छत्तीसगढ़   | 20378   | 59391.38                    |
| गोवा  | 48  | 0                           |
| गुजरात  | 26087.41  | 59485.7                     |
| मध्य प्रदेश   | 19460   | 53485.56                    |
| महाराष्ट्र  | 30953   | 65134.51                    |
| आंध्र प्रदेश  | 15687.2   | 37815.02                    |
| कर्नाटक   | 11051.82  | 23370.41                    |
| केरल  | 2575.04   | 2831.87                     |
| पुडुचेरी  | 32.5  | 138.67                      |
| तमिलनाडु  | 18261.08  | 49113.42                    |
| तेलंगाना  | 8849.1  | 22863.36                    |
| अंडमान निकोबार  | 40.05   | 116.26                      |
| बिहार   | 4535  | 13918.2                     |
| डीवीसी  | 8043.2  | 19094.97                    |
| झारखंड  | 3270  | 8683.27                     |
| ओडिशा   | 11022.25  | 33595.22                    |
| सिक्किम   | 765   | 3237.94                     |
| पश्चिम बंगाल  | 10933   | 31837.84                    |
| अरुणाचल प्रदेश  | 405   | 1049.06                     |
| असम   | 1202.2  | 3752.32                     |
| मणिपुर  | 141   | 479.52                      |
| मेघालय  | 332   | 753.62                      |
| नागालैंड  | 75  | 217.87                      |
| त्रिपुरा  | 1132.1  | 3346.22                     |
| भूटान (आयात)  |   | 4908.67                     |
| <b>सकल योग</b>  | <b>262030.48</b>  | <b>684199.83</b>            |

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 05.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2163 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2016-17 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)\*

| राज्य/सिस्टम/क्षेत्र      | ऊर्जा                        |                    |                              |             | व्यस्ततम                     |                               |                                 |             |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                           | अप्रैल, 2016 - अक्टूबर, 2016 |                    |                              |             | अप्रैल, 2016 - अक्टूबर, 2016 |                               |                                 |             |
|                           | आवश्यकता<br>(एमयू)           | उपलब्धता<br>(एमयू) | अधिशेष/कमी (-)<br>(एमयू) (%) |             | व्यस्ततम मांग<br>(मेगावाट)   | व्यस्ततम आपूर्ति<br>(मेगावाट) | अधिशेष/कमी (-)<br>(मेगावाट) (%) |             |
| चंडीगढ़                   | 1,135                        | 1,135              | 0                            | 0           | 361                          | 361                           | 0                               | 0           |
| दिल्ली                    | 21,666                       | 21,639             | -27                          | -0.1        | 6,342                        | 6,261                         | -81                             | -1.3        |
| हरियाणा                   | 32,179                       | 32,179             | 0                            | 0.0         | 9,262                        | 9,262                         | 0                               | 0.0         |
| हिमाचल प्रदेश             | 5,142                        | 5,113              | -29                          | -0.6        | 1,342                        | 1,342                         | 0                               | 0.0         |
| जम्मू व कश्मीर            | 9,737                        | 7,929              | -1,808                       | -18.6       | 2,480                        | 2,102                         | -378                            | -15.2       |
| पंजाब                     | 37,557                       | 37,557             | 0                            | 0.0         | 11,408                       | 11,408                        | 0                               | 0.0         |
| राजस्थान                  | 38,538                       | 38,351             | -187                         | -0.5        | 9,906                        | 9,906                         | 0                               | 0.0         |
| उत्तर प्रदेश              | 65,677                       | 64,217             | -1,460                       | -2.2        | 17,183                       | 15,501                        | -1,682                          | -9.8        |
| उत्तराखंड                 | 7,943                        | 7,899              | -44                          | -0.6        | 2,020                        | 1,972                         | -48                             | -2.4        |
| <b>उत्तरी क्षेत्र</b>     | <b>2,19,575</b>              | <b>2,16,020</b>    | <b>-3,555</b>                | <b>-1.6</b> | <b>53,372</b>                | <b>52,612</b>                 | <b>-760</b>                     | <b>-1.4</b> |
| छत्तीसगढ़                 | 14,724                       | 14,671             | -53                          | -0.4        | 3,875                        | 3,851                         | -25                             | -0.6        |
| गुजरात                    | 62,059                       | 62,059             | 0                            | 0.0         | 14,724                       | 14,708                        | -16                             | -0.1        |
| मध्य प्रदेश               | 35,799                       | 35,798             | -1                           | 0.0         | 8,832                        | 8,832                         | 0                               | 0.0         |
| महाराष्ट्र                | 80,875                       | 80,838             | -37                          | 0.0         | 20,499                       | 20,462                        | -37                             | -0.2        |
| दमन व दीव                 | 1,434                        | 1,434              | 0                            | 0.0         | 327                          | 327                           | 0                               | 0.0         |
| दादर व नागर हवेली         | 3,620                        | 3,620              | 0                            | 0.0         | 784                          | 784                           | 0                               | 0.0         |
| गोवा                      | 2,857                        | 2,855              | -2                           | -0.1        | 497                          | 496                           | -1                              | -0.3        |
| <b>पश्चिमी क्षेत्र</b>    | <b>2,01,368</b>              | <b>2,01,278</b>    | <b>-90</b>                   | <b>0.0</b>  | <b>46,123</b>                | <b>46,090</b>                 | <b>-33</b>                      | <b>-0.1</b> |
| आंध्र प्रदेश              | 31,471                       | 31,435             | -36                          | -0.1        | 7,969                        | 7,965                         | -4                              | -0.1        |
| तेलंगाना                  | 29,538                       | 29,532             | -6                           | 0.0         | 8,284                        | 8,284                         | 0                               | 0.0         |
| कर्नाटक                   | 37,114                       | 36,828             | -286                         | -0.8        | 9,980                        | 9,567                         | -413                            | -4.1        |
| केरल                      | 14,107                       | 14,084             | -23                          | -0.2        | 4,132                        | 3,996                         | -135                            | -3.3        |
| तमिलनाडु                  | 63,324                       | 63,313             | -11                          | 0.0         | 14,823                       | 14,823                        | 0                               | 0.0         |
| पुडुचेरी                  | 1,545                        | 1,544              | -1                           | -0.1        | 371                          | 368                           | -3                              | -0.7        |
| लक्षद्वीप#                | 28                           | 28                 | 0                            | 0           | 8                            | 8                             | 0                               | 0           |
| <b>दक्षिणी क्षेत्र</b>    | <b>1,77,100</b>              | <b>1,76,734</b>    | <b>-366</b>                  | <b>-0.2</b> | <b>41,298</b>                | <b>41,259</b>                 | <b>-39</b>                      | <b>-0.1</b> |
| बिहार                     | 16,025                       | 15,766             | -259                         | -1.6        | 3,843                        | 3,638                         | -205                            | -5.3        |
| झारखंड                    | 10,829                       | 10,775             | -54                          | -0.5        | 2,686                        | 2,686                         | 0                               | 0.0         |
| झारखंड                    | 4,673                        | 4,662              | -11                          | -0.2        | 1,498                        | 1,498                         | 0                               | 0.0         |
| ओडिशा                     | 16,243                       | 16,241             | -2                           | 0.0         | 4,012                        | 4,012                         | 0                               | 0.0         |
| पश्चिम बंगाल              | 30,916                       | 30,813             | -103                         | -0.3        | 7,881                        | 7,881                         | 0                               | 0.0         |
| सिक्किम                   | 270                          | 270                | 0                            | 0.0         | 153                          | 112                           | -41                             | -26.8       |
| अंडमान-निकोबार#           | 140                          | 105                | -35                          | -25         | 40                           | 32                            | -8                              | -20         |
| <b>पूर्वी क्षेत्र</b>     | <b>78,958</b>                | <b>78,527</b>      | <b>-431</b>                  | <b>-0.5</b> | <b>18,642</b>                | <b>18,596</b>                 | <b>-46</b>                      | <b>-0.2</b> |
| अरुणाचल प्रदेश            | 407                          | 397                | -10                          | -2.5        | 148                          | 140                           | -8                              | -5.4        |
| असम                       | 5,730                        | 5,481              | -249                         | -4.3        | 1,673                        | 1,633                         | -40                             | -2.4        |
| मणिपुर                    | 418                          | 399                | -19                          | -4.5        | 152                          | 151                           | -1                              | -0.7        |
| मेघालय                    | 970                          | 970                | 0                            | 0.0         | 311                          | 311                           | 0                               | 0.0         |
| मिजोरम                    | 278                          | 270                | -8                           | -2.9        | 95                           | 95                            | 0                               | 0.0         |
| नागालैंड                  | 438                          | 429                | -9                           | -2.1        | 130                          | 130                           | 0                               | 0.0         |
| त्रिपुरा                  | 861                          | 845                | -16                          | -1.9        | 284                          | 284                           | 0                               | 0.0         |
| <b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b> | <b>9,099</b>                 | <b>8,785</b>       | <b>-314</b>                  | <b>-3.5</b> | <b>2,487</b>                 | <b>2,475</b>                  | <b>-12</b>                      | <b>-0.5</b> |
| <b>अखिल भारत</b>          | <b>6,86,099</b>              | <b>6,81,346</b>    | <b>-4,753</b>                | <b>-0.7</b> | <b>1,59,542</b>              | <b>1,56,934</b>               | <b>-2,608</b>                   | <b>-1.6</b> |

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2164  
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

पड़ोसी देशों के साथ पावर ग्रिड को जोड़ना

2164. श्रीमती जया बच्चन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की योजना बिजली साझा करने के लिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड को पड़ोसी देशों से जोड़ने की है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में मौजूदा समझौतों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) बिजली साझा करने हेतु विभिन्न देशों के साथ जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की सरकार की योजना है, उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत का राष्ट्रीय ग्रिड सीमा पार विभिन्न पारेषण इंटरकनेक्शनों के माध्यम से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के विद्युत ग्रिड से जुड़ा हुआ है।

भारत ने बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन/विद्युत व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सहित सभी सार्क देशों द्वारा ऊर्जा सहयोग (विद्युत) के लिए सार्क संरचना करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2165

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

श्रीलंका में एन.टी.पी.सी. का विद्युत संयंत्र

2165. श्री हिशे लाचुगंपा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) के विद्युत संयंत्र को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एन.टी.पी.सी. द्वारा संयंत्र पर कितनी राशि व्यय की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी लि. तथा सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) द्वारा सम्पूर, श्रीलंका में 500 मेगावाट (2x250 मेगावाट) के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक की 50% इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् ट्रिकोमाली पावर कंपनी लि. (टीसीपीएल) का गठन किया गया था। तथापि, श्रीलंका सरकार (जीओएसएल) ने अब सूचित किया है कि उसने, सम्पूर में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र तैयार न किए जाने का निर्णय लिया है। श्रीलंका सरकार ने सम्पूर में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की बजाए, केरवालापतिया में 500 मेगावाट गैस आधारित विद्युत संयंत्र तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) : एनटीपीसी लि. ने अब तक, श्रीलंका में टीसीपीएल में इक्विटी के रूप में लगभग 15.19 करोड़ रूपए का निवेश किया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2166  
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ओडिशा को प्रदान की गई निधि

2166. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय ओडिशा में बिजली की अधिकतम आवश्यकता का समाधान करने तथा ओडिशा पन बिजली निगम द्वारा पन बिजली संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए कब तक निधि मंजूर करेगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

जल विद्युत उत्पादन एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। विद्युत मंत्रालय व्यस्ततम विद्युत आवश्यकता अथवा जल विद्युत संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां संस्वीकृत नहीं करता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2167  
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

एलईडी ट्यूब लाइट

2167. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू:  
श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ऊर्जा बचाओ कार्यक्रमों के तहत एलईडी ट्यूब लाइट आपूर्ति करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस उद्देश्यार्थ झारखंड और तेलंगाना से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जोकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, की योजना उपभोक्ताओं को 230/- रूपए प्रति एलईडी ट्यूब लाइट की अप्रिंटेड लागत पर 20 वाट की एलईडी ट्यूब लाइटें वितरित करने की है। कोई खराबी होने की स्थिति में इन ट्यूब लाइटों की तकनीकी वारंटी 3 वर्षों की होती है। एलईडी ट्यूब लाइटों का वितरण उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) स्कीम के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा किया जाता है जो सस्ते मूल्य पर घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्बों की व्यवस्था करता है।

(ख) और (ग) : झारखण्ड और तेलंगाना राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2168

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) पर बैठक

2168. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचुः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के कार्यान्वयन में विशेषज्ञों की राय पर चर्चा करने के लिए हाल ही में बैठक हुई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बैठक की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को उनके ऋणों की पूर्ति के लिए विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में अब तक निर्धारित की गई और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) राज्य-स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों(डिस्कॉम) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्नअराउण्ड के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) तथा विभिन्न राज्य सरकारों सहित पणधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई थी।

उदय के अन्तर्गत सहभागी राज्यों के कार्य निष्पादन की सूक्ष्म निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति गठित की गई है। निगरानी समिति की पिछली बैठक दिनांक 03.11.2016 को आयोजित की गई थी। समिति ने सहयोगी राज्यों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय प्राचलों जिनमें बॉण्ड जारी करना, प्रचालनात्मक आवश्यकताओं हेतु बैंक वित्त पोषण, प्रशुल्क संबंधी मामले तथा राज्यों द्वारा उठाए गए अन्य मामले शामिल है, की समीक्षा की थी।

(ग) : भारत सरकार की तरफ से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है और योजना के अन्तर्गत कोई निधि जारी नहीं की गयी है। उदय के तहत आन्ध्रप्रदेश सरकार ने योजना के अन्तर्गत अब तक अपने डिस्कॉमों का 7376 करोड़ रुपए का भार वहन किया है। तेलंगाना सरकार ने अब तक उदय योजना को नहीं अपनाया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2169  
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

उजाला के तहत एलईडी बल्बों की आपूर्ति

2169. श्रीमती कानीमोझी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उजाला योजना के तहत अब तक एलईडी प्रदान की गई पारिवारिक इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है; और
- (ख) योजना के तहत अब तक राज्यों को वितरित की गई राशि और साथ ही राज्यों द्वारा अब तक व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 24.11.2016 की स्थिति के अनुसार, सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) स्कीम के अंतर्गत एलईडी बल्ब प्रदान किए गए परिवारों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार संख्या इस प्रकार है:

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | घरों की संख्या |
|----------|-------------------------|----------------|
| 1        | जम्मू व कश्मीर          | 1,142,287      |
| 2        | पंजाब                   | 19,226         |
| 3        | हरियाणा                 | 2,492,251      |
| 4        | उत्तराखंड               | 1,126,317      |
| 5        | हिमाचल प्रदेश           | 2,255,400      |
| 6        | दिल्ली                  | 2,492,251      |
| 7        | उत्तर प्रदेश            | 3,711,546      |
| 8        | राजस्थान                | 3,960,070      |
| 9        | गुजरात                  | 9,127,351      |
| 10       | मध्य प्रदेश             | 2,936,282      |
| 11       | बिहार                   | 2,509,392      |

|    |                    |                   |
|----|--------------------|-------------------|
| 12 | सिक्किम            | 466               |
| 13 | महाराष्ट्र         | 6,670,198         |
| 14 | झारखंड             | 2,510,156         |
| 15 | छत्तीसगढ़          | 1,899,408         |
| 16 | ओडिशा              | 2,420,297         |
| 17 | नागालैंड           | 19,413            |
| 18 | असम                | 146,333           |
| 19 | मेघालय             | 16,933            |
| 20 | मिजोरम             | 3,251             |
| 21 | आंध्र प्रदेश       | 6,341,919         |
| 22 | पश्चिम बंगाल       | 113,618           |
| 23 | तेलंगाना           | 186,828           |
| 24 | गोवा               | 240,194           |
| 25 | कर्नाटक            | 4,507,464         |
| 26 | तमिलनाडु           | 20,339            |
| 27 | केरल               | 2,583,433         |
| 28 | दमन व दीव          | 31,670            |
| 29 | दादरा व नागर हवेली | 27,059            |
| 30 | लक्षद्वीप          | 33,333            |
| 31 | अंडमान व निकोबार   | 133,333           |
| 32 | पुडुचेरी           | 203,084           |
|    | <b>कुल</b>         | <b>59,881,104</b> |

(ख) : यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है और भारत सरकार से बिना किसी बजटीय आबंटन के चलता है। इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई आबंटन/वितरण नहीं किया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2170  
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में आरक्षित शट डाउन

2170. श्री तपन कुमार सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में गत कुछ वर्षों से आरक्षित शट डाउन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों की संख्या में कमी आई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ। विगत कुछ वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र आरक्षित शटडाउन का सामना कर रहा है। तथापि, आरक्षित शटडाउन ने राष्ट्रीय ग्रिड में विश्वसनीयता तथा आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता की है। आकस्मिक आवश्यकताओं के दौरान मांग को पूरा करने के लिए भी समय-समय पर इसका प्रयोग किया गया है। विद्युत संयंत्रों द्वारा दी गई सूचना के दौरान विगत तीन वर्षों के दौरान औसत आरक्षित शटडाउन लगभग 8.8% रहा है।

(ख) : जी नहीं। परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता में निजी क्षेत्र का हिस्सा दिनांक 31.03.2012 (11वीं योजना का अंत) की स्थिति के अनुसार, लगभग 19% से बढ़कर दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, लगभग 33% हो गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2171

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली की खपत को कम करने के लिए मुफ्त एलईडी बल्ब

2171. श्री आर. वैद्यलिंगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बिजली की खपत कम करने के मद्देनजर एलईडी बल्ब की मुफ्त में आपूर्ति आरंभ की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के कार्यान्वयन में क्या बाधाएं आ रही हैं;
- (ग) अब तक बचाई गई कुल ऊर्जा का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने हेतु देश में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जोकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, निःशुल्क एलईडी बल्बों की आपूर्ति नहीं करती है। ईईएसएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है जो भारत सरकार द्वारा बिना किसी बजटीय आबंटन के चलता है।

तथापि, राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सहित उपभोक्ता की किसी वर्ग को सब्सिडी उपलब्ध करवाने संबंधी निर्णय लेती है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड सरकार ने एलईडी बल्बों पर क्रमशः 100 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की व्यवस्था करके अपने बीपीएल परिवारों को सहायता देने का निर्णय लिया है।

(ग) : उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत, ईईएसएल ने दिनांक 24.11.2016 तक 17.9 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया है जिसके परिणामस्वरूप 4666 मेगावाट की अनुमानित क्षमता उत्पादन बचाया गया तथा लगभग 23.3 बिलियन किलोवाटघंटा प्रतिवर्ष की ऊर्जा बचत हुई है।

(घ) : ईईएसएल ने एलईडी बल्बों के उपयोग के लिए देश में लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए बहु संचार माध्यमों और प्लेटफार्मों की तैनाती की है। यह कार्य सुनियोजित एकीकृत अभियानों जैसे कि **द # आईएलईडी** द वे कैम्पेन, डिजिटल प्लेटफार्म, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रकाशनों में विज्ञापनों, रेडियो, पत्रिकाओं, प्रिंट एडवर्टोरियल तथा बाहरी मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से किया गया है। अधिकांश क्षेत्रों में मोबाइल वैन लगाई गई है और डाक घरों, डिस्काम कार्यालयों तथा **पाइंट ऑफ सेल** (पीओएस) चैनलों सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर विज्ञापन पुस्तिका, पोस्टर और बैनर जैसी सृजनात्मक सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), जोकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, ने एलईडी संबंधित ऊर्जा दक्षता के बारे में उपभोक्ता को जानकारी देने के लिए मानकीकरण एवं लेबलीकरण (एसएंडएल) कार्यक्रम के अंतर्गत एलईडी बल्बों को शामिल किया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी शुरू किया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2172

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली के बिलों में नियत शुल्क का समायोजन

2172. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

श्रीमती छाया वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विद्युत कंपनियां प्रति किलो वॉट फिक्स चार्ज (एमडीआई) ले रही हो, पर उस चार्ज को विद्युत बिल में समायोजित नहीं करती हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि हां, तो क्या विद्युत कंपनियां उपभोक्ताओं को ठग रही हो और यदि हां, तो इसमें सुधार हेतु मंत्रालय क्या कदम उठाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है तथा विद्युत की बिलिंग और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी (डिस्कॉम) तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार वितरण प्रशुल्क संरचना तैयार नहीं करती है जिसमें निर्धारित प्रभार, एमडीआई तथा ऊर्जा प्रभार शामिल होते हैं। राज्य वितरण क्षेत्र में बिलिंग से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय भी संबंधित एसईआरसी में होता है।

\*\*\*\*\*